भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2053

11 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी अवसंरचना में सुधार पर अमृत योजना का प्रभाव

†2053. श्री सौमित्र खानः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) का जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी अवसंरचना में सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) देश में उक्त मिशन के अंतर्गत लाभान्वित शहरी परिवारों की पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार संख्या कितनी है;
(ग) सरकार द्वारा अवसंरचना के विकास में कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में कितने शहरी परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;
(ङ) पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में और विशेषकर पश्चिम बंगाल में सीवरेज नेटवर्क में क्या सुधार किए गए हैं;
(च) सरकार द्वारा अमृत योजना वाले शहरों में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(छ) उक्त मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए क्या निगरानी तंत्र विद्यमान हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारंभ 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में किया गया। यह मिशन जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, हरित क्षेत्र तथा पार्क, वर्षा जल निकासी एवं गैर-मोटरचालित शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों में बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अमृत पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, 77,640 करोड़ रुपए की

अनुमोदित योजना के सापेक्ष 83,463 करोड़ रुपये की 6,008 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 80,469 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 73,519.51 किलोमीटर जल नेटवर्क और 21,754 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाया गया है, साथ ही 5,011.55 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जल शोधन संयंत्रों की क्षमता, 4,754.61 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता और 1,437 एमएलडी पुन: उपयोग क्षमता का निर्माण किया गया है। अमृत और तालमेल के माध्यम से 189 लाख जल नल कनेक्शन और 149 लाख सीवर कनेक्शन (मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) के अंतर्गत आने वाले घरों सहित) प्रदान किए गए हैं। हरित क्षेत्र में, अमृत योजना के तहत 1,606.31 करोड़ रुपये की 2,529 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 2,489 पार्क परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 5,270.42 एकड़ हरित क्षेत्र का विकास किया गया है। 813 तूफानी जल निकासी परियोजनाएं भी पूरी की जा चुकी हैं। अमृत योजना और तालमेल के अंतर्गत नल और सीवर कनेक्शन से जुड़े परिवारों की राज्य-वार सूची, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, अनुलग्नक में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू किया जा चुका है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनेंगे। अमृत 2.0 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक देश भर के सभी वैधानिक शहरों/नगरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना तथा 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन करना है। जल निकायों का पुनरुद्धार एवं हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं। मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को मिशन दिशानिर्देशों की व्यापक रुपरेखा के अनुसार परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण तथा कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच वर्षों के लिए केंद्र सरकार का 76,760 करोड़ रुपये का हिस्सा शामिल है। अब तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,93,427.02 करोड़ रुपये की 8,804 परियोजनाओं के लिए प्रस्तुत राज्य जल कार्य योजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है। अनुमोदित परियोजनाओं में 1.24 लाख किलोमीटर जल नेटवर्क तथा 35,801.13 किलोमीटर सीवर नेटवर्क का निर्माण/पुनरुद्धार, 175 लाख नए नल कनेक्शन, 69 लाख नए सीवर कनेक्शन, 11,160 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता और 6,710.04 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता शामिल हैं।

(च) जल राज्य का विषय है और शहरी क्षेत्रों में जल का सतत् प्रबंधन राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जनसंख्या वृद्धि (वर्ष 2025 के लिए), सेवा स्तर के मानदंड, मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर और जल संसाधनों की स्थिरता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए शहरी जल संतुलन योजनाएं (सीडब्ल्यूबीपी) तथा शहरी जल कार्य योजनाएं (सीडब्ल्यूएपी) तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त, रखरखाव प्रणालियों, डिजिटल निगरानी, ऊर्जा दक्षता और आपातकालीन तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए, मिशन स्मार्ट एलिमेंट/पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) आधारित संचालन को अपनाने को बढ़ावा देता है। अमृत के अंतर्गत 258 जल आपूर्ति योजनाओं में एससीएडीए प्रणाली है और अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,415 जल आपूर्ति परियोजनाओं में एससीएडीए प्रणाली का प्रावधान है।

इस मिशन के तहत अभियंताओं और उपयोगिता कर्मचारियों के क्षमता निर्माण का कार्य भी किया जाता है और अब तक 90,000 से अधिक ठेकेदारों, संयंत्र संचालकों, प्लंबरों, महिलाओं, युवाओं और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(छ): मिशन के दिशानिर्देशों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत गठित एक शीर्ष समिति मिशन की आवधिक समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत 2.0 के तहत किए गए कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। साथ ही, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। प्रगति की जानकारी रखने और परियोजनाओं की निगरानी के लिए समर्पित अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल है।

*****

शहरी अवसंरचना में सुधार पर अमृत योजना का प्रभाव के संबंध में 11 दिसम्बर 2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2053 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अमृत तथा तालमेल के अंतर्गत नल कनेक्शन और सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले परिवार (20.11.2025 तक)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	नए/मरम्मत किए गए नल कनेक्शनों के अंतर्गत आने वाले परिवार	सीवर/सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले परिवार
1	आंध्र प्रदेश	4,20,579	3,99,916
2	अरुणाचल प्रदेश	4,312	16,000
3	असम	72,497	-
4	बिहार	7,04,788	-
5	छत्तीसगढ	3,09,871	3,65,217
6	गोवा	2099.4	1982
7	गुजरात	20,94,249	30,84,726
8	हरियाणा	3,62,888	3,85,077
9	हिमाचल प्रदेश	26,676	38,920
10	झारखंड	2,99,296	33,000
11	कर्नाटक	9,20,304	7,08,638
12	केरल	6,56,652	3,79,976
13	मध्य प्रदेश	14,40,652	4,02,139
14	महाराष्ट्र	11,73,069	4,44,966
15	मणिपुर	28,947	4,000
16	मेघालय	15,143	31,000
17	मिजोरम	56,535	-
18	नागालैंड	5,515	30,520
19	ओडिशा	5,18,395	4,14,177
20	पंजाब	2,53,589	1,21,218
21	राजस्थान	4,45,361	6,15,048
22	सिक्किम	3,907	17,400
23	तमिलनाडु	16,06,924	25,20,304
24	तेलंगाना	5,54,204	87,570
25	त्रिपुरा	38,620	600

26	उत्तर प्रदेश	9,29,493	18,62,868
27	उत्तराखंड	79,538	74,914
28	पश्चिम बंगाल	27,83,678	1,84,215
संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)			
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,198	-
30	चंडीगढ़	1,76,434	1,76,434
31	दादरा और नगर हवेली तथा	22,459	25,464
	दमन और दीव	7,000	4,134
32	दिल्ली	27,52,255	21,55,226
33	जम्मू और कश्मीर	77,170	3,32,292
34	लद्दाख	1,620	1,620
35	पुदुचेरी	5,250	15,954
कुल		**1,88,57,166**	**1,49,35,514**